पटना समाहरणालय, पटना।

143

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ0 बजट आवंटन– 24/2013– 74 (आवंटन)/कृ0 पटना दिनांक 26.07.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्यादेश संख्या 3729, दिनांक 24.07.2013 के द्वारा खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग संख्या–1–उपशीर्ष–0103–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड– P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-56 83, विषय शीर्ष 3301–सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013–14 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 03/कृ0 बजट आवंटन– 24/2013– 74 (आवंटन)/कृ0 पटना दिनांक 26.07. 2013 द्वारा पटना जिला को कुल 97,14,855/– (सनतानबे लाख चौदह हजार आठ सौ पचपन) रूपये का आवंटन चालू खरीफ मौसम में धान का बीज गिराने, बीज स्थली में बिचड़ा को बचाने, बिचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गए खड़े फसल की सिंचाई करने एवं मक्का की सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान मद में आवंटन प्राप्त हुआ है। सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–पी0पी0एम0–84/2012 (खण्ड–।) 3729 दिनांक 24.07.2013 एवं सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का पत्र सं0– 3/कृ0बजट आवंटन–24/2013– 74 (आवंटन) दिनांक 26.07.2013 की छाया प्रति संलग्न। इस आवंटन को प्रखंडो में इन फसलों के रकवा के आधार पर निम्न रूपेण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के नाम के सामने अंकित राशि उपावंटित करते हुए संबंधित कोषगार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में राशि की निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	उपावंटित पदाधिकारी का पदनाम	खरीफ मौसम मे धान एवं मक्का का रकवा (हे0 में)	डीजल अनुदान हेतु उपाबंटित राशि (रू0 में)
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना सदर	994	76050
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फुलवारी शरीफ	6534	499912
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक	4517	345592
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फतुहा	5793	443218
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खुशरूपुर	3611	276275
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दनियावाँ	2647	202520
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी	11460	876798
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनरूआ	7245	554310
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुनपुन	5048	386220
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर	4662	356686
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनेर	4490	343528
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा	10497	803120
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रम	9041	691720
14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुल्हिन बाजार	6024	460892
15	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालीगंज	13972	1068990
16	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर	11961	915128
17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाढ़	2630	201220
18	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अथमलगोला	2542	194486
19	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलछी	2361	180640
20	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर	3940	301446
21	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंडारक	3248	248502
22	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा	1726	132056
23	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घोसवरी	2033	155546
	कुल उपावंटित राशि–	126976	9714855

3/8/2013

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में बजट शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग संख्या–1–उपशीर्ष–0103–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड– P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-56 83, विषय शीर्ष 3301–सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013–14 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3729/कृ0 दिनांक 24.07.2013 में निहित निदेशों एवं शर्तों के आलोक में हीं निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। व्यय की गई रशि का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2री तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा राशि व्यय के पश्चात टी0भी0 सं0 के साथ व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को शीघ्र भेजा जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड एवं मांग संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मोहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृपया एक विपत्र पर एक हीं उपशीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. उपावंटित राशि में से 80 प्रतिशत राशि व्यय हो जाने पर अगर माँग अवशेष बचता हो तो अतिरिक्त राशि की माँग संबंधित सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र भेजा जाय ताकि राशि की माँग राज्य सरकार से किया जा सके।

6. यह उपावंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. यदि उपर्युक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 31.12.2013 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर इसे बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

वरीय उप समाहर्ता आपदा प्रबंधन शाखा, पटना।	अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, पटना।	जिला पदाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 831 आ0प्र0, दिनांक 2/8/13

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर, मसौढ़ी, पटना सिटी, बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता आपदा प्रबंधन शाखा, पटना।	अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, पटना।	जिला पदाधिकारी, पटना।

03/08/013
11:30 Am.